FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0024 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 03/02/2025 17:46 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 29/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 31/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:50 बजे **Time To (समय तक):** 13:29 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 03/02/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 03/02/2025 17:46:48 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 14 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** shree baba mastnath instution off, Education trainig and resarch, thehadi gangani hanumangarh

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): HANUMANGARH TOWN **District(State) (जिला (राज्य)):** HANUMANGARGH(RAJASTHAN)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Mayank kumar

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Kulbhushan Kumar

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	106, Sdm Colony Near Golden, City Hunmangarh Janction, HANUMANGARH TOWN, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	106, Sdm Colony Near Golden, City Hunmangarh Janction, HANUMANGARH TOWN, HANUMANGARGH, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Dr Ramavtar		पिता:Hari Ram Sharma	1. HALL PRINCIPAL SHREE BABA MASTNATH,INSTITUTE OF EDUCATION,TRANING AND RESEARCH,THEHDI GANGANI HANUMANGARH TOW,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA
2	KARAN		पिता:ANUP KUMAR	1. HALL COMPUTER OPRETER,SHREE BABA MASTNATH INSTUTE,OF EDUCATION TRANING AND,RESEARCH

				THEHDI GANGANI,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	5000 रूपये रिश्वती राशि आरोपी के कब्जे से प्राप्त की	5,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 5,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ विषय - बाबा मस्तनाथ कॉलेज में प्रिंसिपल को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ाने बाबत। सविनय निवेदन है कि मैं मयंक कुमार पुत्र श्री कुलभूषण कुमार निवासी SDM कॉलोनी नजदीक गोल्डन सिटी ने टाउन बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था अभी हमारे परीक्षा फार्म भरे गए हैं जिसको मैंने आनॅलाईन आवेदन कर मूल प्रति (कॉलेज प्रति एंव यूनिवर्सिटी प्रति) को कालेज में जमा करवाने हेतू गया तो वहां पर प्रिंसिपल द्वारा फार्म जमा न करके दस हजार रूपए की मॉग की गई तथा यह कहा गया कि जब तक आप यह राशि जमा नहीं करवाते तब तक आपका फार्म जमा नहीं किया जावेगा। तो मैं प्रिंसिपल सर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं, मेरा पूर्व में प्रिंसिपल सर से कोई भी लेनदेन नहीं है, न ही आपसी किसी प्रकार की रंजिश है। सधन्यवाद प्रार्थी -एसडी-मंयक कुमार पुत्र श्री कुलभूषण कुमार Mob.No [redacted] दिनांक 29/1/25 कार्यवाही पुलिस दिनांक 29.01.2025 को वक्त 10.50 एएम प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री मंयक कुमार पुत्र श्री कुलभूषण कुमार उम्र-28 वर्ष निवासी मकान नं. 106 एसडीएम कॉलोनी नजदीक गोल्डन सिटी हनुमानगढ़ जक्षंन ने ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ में उपस्थित होकर श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक के नाम संबोधित एक लिखित प्रार्थना पत्र श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया जिन्होने अग्रिम कार्यवाही हेतु उक्त प्रार्थना पत्र मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया, परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय का हस्तलिखित होना बताया व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मैं हनुमानगढ़ टाउन के बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज में प्रथम वर्ष में दाखिला लिया था अभी हमारे परीक्षा फार्म भरे गए हैं जिसकों मैने आनलाईन आवेदन कर मूल प्रति (कॉलेज प्रति व यूनिवर्सिटी प्रति) को कालेज में जमा करवाने हेतु गया तो वहां पर प्रिंसिपल रामावतार कौशिक द्वारा फार्म जमा न करके, फार्म जमा करने के लिए दस हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा यह कहा कि जब तक आप यह राशि नहीं देते हो तब तक आपका फार्म जमा नहीं किया जायेगा। मेरे द्वारा कॉलेज व यूनिवर्सिटी की सारी फिस पहले ही जमा करवायी जा चुकी है, मैं प्रिंसिपल रामावतार कौशिक को रिश्वत के दस हजार रूपये लेते हुए पकड़वाना चाहता हूं, मेरा प्रिंसिपल रामावतार कौशिक से कोई उधार व अन्य लेन देन नहीं है ना ही आपसी किसी प्रकार की कोई रंजिश है, अतः नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री मयंक कुमार के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी के प्रार्थना पत्र व आधार कार्ड की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री मंयक कुमार को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, ब्यूरो के श्री रामजस कानि. का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री मयंक कुमार को गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई। जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर

परिवादी श्री मयंक कुमार व श्री रामजस कानि. को मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन के लिए रवाना किया। समय 02.00 पी.एम. पर परिवादी श्री मंयक कुमार व श्री रामजस कानि0 गोपनीय सत्यापन में गए हुए ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये व श्री रामजस कानि0 ने बंद डी.वी.आर. मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैं व मंयक कुमार परिवादी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज, हनुमानगढ़ टाउन के पास पहुचें, जहां मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज की तरफ रवाना किया मैं गोपनीय रूप से बाहर ही रूक गया था कुछ समय बाद परिवादी मंयक कुमार वापिस आया व डी.वी.आर. सुपुर्द किया जिसे मैने बंद किया व परिवादी श्री मयंक कुमार ने अवगत करवाया की श्री रामावतार कौशिक प्रिसिपंल से रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता हो चुकी है इस पर परिवादी को हमराह लेकर उपस्थित आया हूं। परिवादी श्री मयंक कुमार ने बताया कि मैं व श्री रामजस जी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन के पास पहुंचे जहां पर श्री रामजस जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज की तरफ रवाना किया था श्री रामजस जी बाहर ही रूक गये थे। मै कॉलेज में गया तो वहां पर श्री रामावतार कौशिक प्रिसिंपल मिला उसने मेरे फार्म जमा करने की एवज में दस हजार रूपये मांगे व कुछ कम करने का कहने पर एक बारी पांच हजार रूपये जमा कराने का कहा है और कहा की मुझे यूनिवर्सिटी में देने है और मुझे परसो दिनांक 31.01.2025 को बुलाया है, मैनें उक्त वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया था फिर मैं कॉलेज से बाहर आकर श्री रामजस जी से मिला उन्होने मुझसे सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया और उन्हें यह बात मैने बतायी थी फिर वहां से रवाना होकर उपस्थित आये है। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो रिश्वत मांग संबंधी तथ्य स्पष्ट पाये गये। आईन्दा उक्त डी.वी.आर. में रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जाकर पैनड्राईव में प्रतिलिपि तैयार करवायी जायेगी। ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर (डी.वी.आर.) को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 02.50 पीएम पर परिवादी ने कहा की अब मुझे जरूरी कार्य है मैं परसो दिनांक 31.01.2025 को रिश्वत राशि 5000/-रूपये की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। दिनांक 31.01.2025 समय 10.30 एएम पर परिवादी श्री मयंक कुमार ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत करवाया की मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5000/-रूपये कि व्यवस्था कर साथ लाया हूं, इस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत दी गई। गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर जरिये तहरीर देकर श्री खियांराम सउनि. को कार्यालय उपनिदेशक, आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग हनुमानगढ़ के लिए रवाना किया गया। समय 10.50 एएम पर कार्यालय उपनिदेशक, आर्थिक एंव सांख्यिकी विभाग हनुमानगढ़ से श्री खियांराम सउनि के हमराह श्री भूपेन्द्र गुप्ता सहायक सांख्यिकी अधिकारी व आदित्य वर्मा सहायक प्रोग्रामर उपस्थित आये। समय 11.20 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री भूपेन्द्र गुप्ता गुप्ता सहायक सांख्यिकी अधिकारी व आदित्य वर्मा सहायक प्रोग्रामर को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष बुलवाया जाकर परिवादी श्री मयंक कुमार से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी श्री मयंक कुमार के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। परिवादी श्री मंयक कुमार पुत्र श्री कुलभूषण कुमार उम्र-28 वर्ष निवासी मकान नं. 106 एसडीएम कॉलोनी नजदीक गोल्डन सिटी हनुमानगढ़ जक्शंन ने आरोपित श्री रामावतार कौशिक को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/- रूपये मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है -क्र.स. नोटों का विवरण नम्बर1 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 CU 652370 2 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 CU 652371 3 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 CU 652372 4 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 CU 652373 5 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 CU 652374 6 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 CU 652375 7 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 BF 071163 8 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 8 AF 545004 9 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 CA 780418 10 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 VG 726637 रूबरू गवाहन श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. 16 से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह भूपेन्द्र गुप्ता सहायक सांख्यिकी अधिकारी से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 5,000 रू. श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. से ही परिवादी के पहने शर्ट की उपरी बांई साईड की जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. [redacted] पर मिस कॉल/कॉल करें। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के

मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि. के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईश प्रदर्शन घोल को नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनाल्फथलीन पाउडर की शीशी को वापस मालखाना में रखवाकर समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री मयंक कुमार को रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.35 पीएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री मयंक कुमार, स्वतंत्र गवाह श्री भूपेन्द्र गुप्ता, श्री आदित्य वर्मा, हमरकाब श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस, श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री खियांराम सउनि., श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री भूपेन्द्र गुप्ता, श्री आदित्य वर्मा, हमरकाब श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस, श्री राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक, श्री खियांराम सउनि., श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री विजय प्रसाद कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय दिनांक 29.01.2025 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर निजि वाहनों से व परिवादी श्री मयंक कुमार व रामजस कानि. को परिवादी की मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय से बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन की तरफ रवाना हुए। श्री राजेन्द्र प्रसाद कानि0 को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। दिनांक 31.01.2025 समय 01.15 पीएम पर उपरोक्त फिकरा के रवानाशुदा बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन के पास पहुंच परिवादी को आरोपी से संपर्क करने हेतु बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन की तरफ रवाना कर ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 01.29 पीएम पर परिवादी श्री मयंक कुमार द्वारा जरिये वॉटसअप कॉल मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन में पहुंची जहां कॉलेज पार्किंग के पास परिवादी खड़ा मिला जिसने बताया की रामावतार कौशिक प्रिसिंपल ने अपने स्टाफ के कम्प्यूटर ऑपरेटर को 5000 रूपये दिलवाये है जिसने मेरे से रूपये लेकर अपने पास रख लिये है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी मंयक कुमार व हमराहीयान को साथ लेकर कॉलेज परिसर में बनी सीढ़ियों से उपर पहुंची जहां पर कुछ बच्चे कक्षाओं से बाहर आ रहे थे, लॉबी में खड़े स्वेटर पहने हट्टे कट्टे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर परिवादी श्री मंयक कुमार ने बताया की यह प्रिसिपंल रामावतार कौशिक है व उनके पास खड़े व्यक्ति काली जैकेट पहने व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि इन्हे मैने प्रिसिंपल सर के कहने से रिश्वत राशि 5000/-रूपये दी है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व हमराहीयान का परिचय देकर स्वेटर पहने व्यक्ति से उनका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम डॉ0 रामावतार पुत्र श्री हरिराम शर्मा, जाति-ब्राह्मण उम्र-45 वर्ष निवासी मकान नंबर 93 सेक्टर नंबर 11 बी, हनुमानगढ़ जक्शंन हाल प्राचार्य श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन होना बताया व दूसरे व्यक्ति काली जैकेट पहने व्यक्ति ने अपना नाम करण पुत्र श्री अनूप कुमार, उम्र-27 वर्ष जाति-भाट निवासी मकान नं. 249 ए, शिववाड़ी मोहल्ला 17 एचएमएच कोहला, जिला हनुमानगढ़ होना बताया उनसे परिवादी श्री मयंक कुमार से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो डॉ0 रामावतार ने बताया की हमने इससे फीस के पैसे लिये है, जिस पर डॉ0 रामावतार से फीस की रसीद के बारे में पूछा तो कहा की वो तो बाद में देंगें, जिस पर परिवादी ने स्वंय ही बताया की मेरे द्वारा बीएड की सारी फीस आनलाईन पहले ही जमा करवा दी थी अब मेरा परीक्षा का फार्म मैने आनलाईन भरा था जिसकी हार्ड कॉपी जमा करवाने कॉलेज में आया तो प्रिसिंपल सर ने मेरे से 10000/-रूपये मांगे थे जिसकी शिकायत मेरे द्वारा आपके कार्यालय में दिनांक 29.01.2025 को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर आपके द्वारा सत्यापन करवाया गया तो उस दिन प्रिसिपंल सर रामावतार जी ने मेरे से दस हजार रूपये मांगे मेरे द्वारा रिकवेस्ट करने पर कहा की एक बारी तू 5000/-रूपये दे दे मुझे तेरा फार्म यूनिवर्सिटी में दिनांक 01.02.2025 को जमा करवाना है वहां मुझे ये रूपये देने होगे और मुझे आज दिनांक 31.01.2025 को रूपये लेकर बुलाया था मैने वहीं 5000/-रूपये रिश्वत स्वरूप दिये है, फिर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा करण से रिश्वत राशि लेने बाबत पूछा तो उसने कहा की मुझे तो थोड़ी देर पहले ये लड़का पांच हजार रूपये देकर गया था जो मैने एक्जाम कंट्रोल रूम में मेरी सीट के पास रखे मेज पर ही रख दिये थे, फिर एक्जाम कंट्रोल रूम का ताला खुलवाया गया तो उसमें एक कुर्सी व दो कम्प्यूटर व एक प्रिन्टर मेज पर रखा हुआ है, फिर करण से रिश्वत राशि के संबंध में पूछा गया तो कहने लगा की यहीं पर रखी थी, फिर काफी देर कर वह गुमराह करता रहा फिर काफी देर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूछताछ व कमरे की चैकिंग की गई तो वह राशि नहीं मिली फिर काफी देर पूछताछ की गई तो भी उनके द्वारा रिश्वत राशि

के बारे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया फिर कमरे की तलाशी ली गई तो कमरे में साईड में रखे मेज पर फाईलों व पुस्तक के नीचे एक पांच-पांच सौ रूपयों के नोटों की थैई दिखाई दी जिसे गवाह श्री भूपेन्द्र गुप्ता से उठवाकर चैक करवाया तो उस नोटों की थैई जिस पर रबड़ चढा हुआ है व एक पर्ची उसमें लगी हुई है फिर रूपयों को गिनवाया गया तो पांच पांच सौ रूपये के 21 नोट होने पाये गये। फिर गवाह श्री आदित्य को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर अंकित नोटो के नंबरो का मिलान बरामदा नोटों के नंबरों से करवाने पर दोनो गवाहन ने दस नोट हुबहू रिश्वत राशि वाले नोट होना बताने पर उक्त नोटों के नंबर फर्द में अंकित किये गये। उक्त राशि व पर्ची गवाह व शेष राशि 5500/-रूपये गवाह भूपेन्द्र गुप्ता को सुरक्षार्थ संभलायी गई। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो डिस्पोजल साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसकी ताईद गवाहन द्वारा करने पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री करण कम्प्यूटर ऑपरेटर के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क RK1 RK2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री करण कम्प्यूटर ऑपरेटर के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क LK1 LK2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। रिश्वत राशि मेज पर रखी पुस्तक व फाईल के बीच से बरामद हुई है, आरोपी करण कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा राशि अपने मेज की पास बनी ड्रोरअर में रखी होना बतायी है व रामावतार प्रिसिंपल द्वारा रिश्वत राशि का हाथ में लेकर पुस्तक व फाईल के मध्य रखी होने की संभावना के कारण डॉ0 रामावतार के हाथों की धुलवाई आवश्यक होने के कारण दो डिस्पोजल साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसकी ताईद गवाहन द्वारा करने पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी डॉ. रामावतार के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। डिस्पोजल गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क RR1 RR2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी डॉ. रामावतार के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मट्मैला प्राप्त हुआ। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क LR1 LR2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। रिश्वत राशि एक पुस्तक एलएसी पाठयक्रम के परे भाषा के उपर व एक गुलाबी कवर की फाईल जिस पर एक्जाम फार्म बी.एड. सेकण्ड ईयर यूनिवर्सिटी कॉपी (2024-25) लिखा हुआ है के नीचे से बरामद हुई जिसकी धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से एक साफ नई डिस्पोजल के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर उक्त घोल में कपड़े की एक छोटी चिंदी को डूबोकर गिला कर उसे गुलाबी फाईल के नीचे व पुस्तक के उपर बार-बार रगड़ कर उसे पुनः घोल में डूबोया तो धोवन का रंग मट्मैला प्राप्त हुआ जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सिल मोहर चिट कर मार्का B1 B2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। फिर पुस्तक एलएसी पाठयक्रम के परे भाषा के उपर व एक गुलाबी कवर की फाईल जिस पर एक्जाम फार्म बी.एड. सेकण्ड ईयर यूनिवर्सिटी कॉपी (2024-25) लिखा हुआ को कब्जा पुलिस लिया गया। जिस कपड़े की चिंदी से धोवन लिया गया था उन्हे सुखाकर एक कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर संबंधित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये गये। गवाह श्री भूपेन्द्र गुप्ता के पास रिश्वत राशि 5000/- रूपये व अन्य राशि व कागज सुरक्षित है, रिश्वत राशि 5000/-रूपये को एक कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया व मौके पर बरामद अन्य राशि 5500/-रूपये को वास्ते अनुसंधान कब्जा पुलिस लिया गया। कागज की छोटी पर्ची जिसे चैक किया तो उस पर कंलवत कुमार (1st)-5000 Clear 300 (Corr.Fees) मयंक (1st)- 5000 कुल-10300 लिखा हुआ है जिसके पीछे संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। करण कम्प्यूटर ऑपरेटर से परिवादी मयंक कुमार से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछा गया तो कम्प्यूटर ऑपरेटर ने बताया कि यह राशि विद्यार्थीयों से नोनअटेण्डिग के लिए ली जाती है, मेरे द्वारा यह राशि लेकर एक छोटी कागज की पर्ची बनाकर उस राशि के उपर लगाकर पुस्तक व फाईल के बीच में रख दी जाती है, विद्यार्थी से सारी बात प्रिसिपल रामावतार द्वारा ही की जाती है और उनके कहे अनुसार ही यह राशि ली जाती है मेरा इस राशि से कोई लेना देना नही है मै एक छोटा कर्मचारी हूं और मुझे उनके कहे अनुसार सारा काम करना पड़ता है। कुछ विद्यार्थी जो मुझे आनलाईन ट्राजेक्शन करते थे वो राशि प्रिसिंपल सर अपनी पत्नी के खाते में ट्रांसपर करवा लेते थे। डॅा0 रामावतार से परिवादी से ली गई रिश्वत के बारे में पूछने पर बताया कि जिन छात्रों की उपस्थिति बीएड कॉलेज में 85 प्रतिशत से कम रहती है उनको आर्थिक दण्ड के रूप में फाईन वसूला जाता है जो नगद राशि के रूप में वसूला जाता है जो इसी ट्रस्ट की गौशाला में गौसेवार्थ जाता है। अनुपस्थित बच्चों के संबध में मेरे पास एक पर्ची है जिस पर उनके नाम है जिनका फाईन जमा हो जाता है उनका नाम मेरे द्वारा काट दिया जाता है फिर एक छोटी पर्ची अपनी जेब से निकालकर पेश

की जिस पर कुछ छात्रो के नाम है जिसे जांच हेतु कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी डॉ. रामावतार से परिवादी मंयक के उपस्थिति रजिस्टर के संबंध में पूछा गया तो उन्होने बी.एड. प्रथम वर्ष सेक्शन ए का एक छात्र उपस्थिति रजिस्टर पेश किया जिसे बाद अवलोकन किया जो अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक है जिसमें परिवादी मंयक कुमार का नाम भी अंकित है, कब्जा पुलिस लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में आरोपी करण कम्प्यूटर ऑपरेटर व डॉ0 रामावतार के हाथों की धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी तथा परिवादी व आरोपीगण से पूछताछ का सरकारी विडियो कैमरा से जरिये अमन क.सहायक से विडियो क्लीप तैयार करवायी गई। इस कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एंव हाथ धुलवाई तैयार कर फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी मयंक कुमार के परीक्षाफार्म को प्राप्त किया गया उसकी फोटोप्रति की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मूल परीक्षाफार्म परिवादी मंयक कुमार को वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु पुनः सुपुर्द किया गया। दौराने कार्यवाही श्री पवन कुमार मीणा अति0 पुलिस अधीक्षक मौके पर उपस्थित आये व श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा. तलविदा सरकारी वाहन बोलरों सहित मौके पर उपस्थित आया। वक्त 04.30 पीएम पर नमूना सील तैयार की गई। वक्त 04.40 पीएम पर नक्शा मौका व हालात मौका कसीद किया गया। कार्यवाही के दौरान आरोपी डॉ. रामावतार प्राचार्य व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर को जरिये फर्द हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। समय 05.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, मय गिरफ्तारशुदा अभियुक्त करण कम्प्यूटर ऑपरेटर व डॉ. रामावतार, परिवादी मंयक कुमार, दोनो गवाहन श्री भूपेन्द्र गुप्ता, श्री आदित्य वर्मा, ब्यूरो स्टाफ हमरकाब श्री नरेश कुमार गेरा उपअधीक्षक पुलिस, श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री खिंयाराम सउनि., श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री रामजस कानि., श्री विजय प्रसाद कानि., श्री वरूण कुमार कानि., श्रीमती गुरप्रीत म.कानि., श्री अमन कुमार क.सहायक, श्री ओमप्रकाश कानि.ड्रा.,कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत शील्डशुदा दस शिशिया, शील्डशुदा रिश्वत राशि पांच हजार रूपये, जब्तशुदा 5500/-रूपये, जब्तशुदा फाईल व पुस्तक, शील्डशुदा चींदी की थैली, जब्तशुदा बी.एड़ प्रथमवर्ष का छात्र उपस्थिति रजिस्टर, जब्तशुदा कागज की पर्ची, जब्तशुदा कागज का टुकड़ा, ट्रेप बाक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर व अन्य ट्रेपसामग्री को साथ लेकर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन से ब्यूरो कार्यालय हनुमानगढ़ के लिए रवाना हुए, श्री पवन कुमार अति.पुलिस अधीक्षक बाद आवष्यक निर्देश देकर मौके से बीकानेर के लिए रवाना हुए। 05.50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक ने गिरफ्तारशुदा दोनो आरोपियो डॉ0 रामावतार प्राचार्य व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर व दोनो गवाहन व ब्यूरो स्टाफ मय कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत सहित ब्यूरो कार्यालय में पहुंची व श्री हसंराज मुख्य आरक्षक को कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत शील्डशुदा दस शिशिया, शील्डशुदा रिश्वत राशि पांच हजार रूपये, जब्तशुदा 5500/-रूपये, जब्तशुदा फाईल व पुस्तक, शील्डशुदा चींदी की थैली, जब्तशुदा बी.एड़ प्रथमवर्ष का छात्र उपस्थिति रजिस्टर, जब्तशुदा कागज की पर्ची, जब्तशुदा कागज का टुकड़ा, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु निर्देश दिये जाकर संभलाये गये। समय 06.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 29.01.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 08.15 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 29.01.2025 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये श्री रामजस कानि. से उक्त वार्ता को दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई। उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- 3c49b1b3d1ee85c3a58c06a3bd0f48b1be9de62d है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क ए-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क ए-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 29.01.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द मुर्तिब की गई। आरोपी डॉ. रामावतार प्राचार्य व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर का मेडिकल चैकअप करवाया गया। आरोपी डॉ. रामावतार प्राचार्य व करण कम्प्यूटर ऑपरेटर को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शन के हवालात में रखवाया गया। दिनांक 31.01.2025 को समय 08.20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 31.01.2025 को हुई रिश्वत लेन देन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 09.35 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 31.01.2025 की रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये रामजस कानि. 109 से उक्त वार्ता को दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई उन्हे मार्क बी-1, मार्क बी-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क बी-1, बी-2 की हैश वैल्यू

निकाली गई जो SHA1- 9486fff70f447664aac64067ae06fd1be55b5705 है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क बी-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क बी-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क बी-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 31.01.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर एक सफेद कागज में लपेट कर एक खाली माचिस की डिब्बी में डालकर, माचिस की डिब्बी को कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द मुर्तिब की गई। समय 09.40 पीएम पर घटनास्थल श्री बाबा मस्तनाथ बी.एड़ कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन में ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में सरकारी विडियो कैमरा से अमन कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा आरोपीगण की हाथ धुलाई व रिश्वत राशि बरामदगी तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी की गई। बरूबरू गवाहान के समक्ष उक्त सरकारी विडियो कैमरा में से मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त कार्यवाही की सम्पुर्ण विडियोग्राफी है उक्त मैमोरी कार्ड को सरकारी विडियो कैमरा से निकाला गया, उक्त मैमोरी कार्ड सैनडिस्क कम्पनी का है जिस पर 16 जीबी अंकित है। उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के सरकारी लेपटाप में डाला गया जिसमें एक फाईल है इसकी दो पैन ड्राईव जिन पर EDENIC 8GB अंकित है में प्रतिलिपी की गई। तत्पश्चात मैमारी कार्ड तथा दोनों पैन ड्राईव की हैशवैल्यु निकाली गई जो (SHA1-94357c8912ca272ede8b4e7a399069ab5f6f35ef) है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया। उक्त मूल मैमोरी कार्ड को एक सफेद कागज में लपेट कर प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर कपडे की थैली में डालकर शिल्ड मोहर किया गया। फर्द मुर्तिब कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई, परिवादी व स्वतंत्र गवाहन को रूख्सत किया गया। इस प्रकार परिवादी श्री मंयक कुमार पुत्र श्री कुलभूषण कुमार उम्र-28 वर्ष निवासी मकान नं. 106 एसडीएम कॉलोनी नजदीक गोल्डन सिटी हनुमानगढ़ जक्शन के लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 29.01.2025 में अंकित तथ्यों एंव मजमून दरियाफ्त के आधार पर दिनांक 29.01.2025 को करवाये गये सत्यापन से परिवादी श्री मयंक कुमार से प्राचार्य रामावतार द्वारा बीएड के ऑफलाईन फार्म जमा करवाने की एवज में यूनिवर्सिटी के नाम से परिवादी से 5000/-रूपये रिश्वत की मांग की जिसे दिनांक 31.01.2025 को रिश्वत करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ बीएड कॉलेज हनुमानगढ़ टाउन को दिलवाये जिसने उक्त रिश्वत राशि को फाईल व पुस्तक के बीच में छिपायी जहां से बरामद की गई व आरोपी डॉ0 रामावतार ने करण कम्प्यूटर ऑपरेटर के साथ अपराधिक षड़यंत्र कर परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त की, आरोपी करण कम्प्यूटर ऑपरेटर के दोनों हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन गुलाबी व हल्का गुलाबी, आरोपी डॉ. रामावतार प्राचार्य के दोनो हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन मटमैला व रिश्वत बरामदगी स्थान फाईल व पुस्तक की धोवन मटमैला प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने आदि तथ्यों के आधार पर आरोपी डॉ0 रामावतार प्राचार्य एंव करण कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीटयूट ऑफ एज्यूकेशन ट्रेनिंग एण्ड़ रिसर्च, थेहड़ी गंगानी, हनुमानगढ़ टाउन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7 ए ,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया गया है। अतः डॉ0 रामावतार पुत्र श्री हरिराम शर्मा, जाति-ब्राह्मण उम्र-45 वर्ष निवासी मकान नंबर 93 सेक्टर नंबर 11 बी, हनुमानगढ़ जक्शन हाल प्रचार्य श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीटयूट ऑफ एज्यूकेशन ट्रेनिंग एण्ड़ रिसर्च, थेहड़ी गंगानी, हनुमानगढ़ टाउन एवं करण पुत्र श्री अनूप कुमार, उम्र-27 वर्ष जाति-भाट निवासी मकान नं. 249 ए, शिववाड़ी मोहल्ला 17 एचएमएच कोहला, जिला हनुमानगढ़ कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीटयूट ऑफ एज्यूकेशन ट्रेनिंग एण्ड़ रिसर्च, थेहड़ी गंगानी, हनुमानगढ़ टाउन के विरूद्ध वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपेर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। (शालू बिश्नोई) पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ ....कार्यवाही पुलिस ....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेश कुमार गैरा उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी 1. डॉ. रामावतार पुत्र श्री हरिराम शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 45 साल निवासी मकान नम्बर 93 सेक्टर नम्बर 11बी हनुमानदगढ़ जंक्शन हाल प्राचार्य श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीटयूट ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च थेहड़ी गंगानी हनुमानगढ़ एवं 2. करण पुत्र श्री अनुप कुमार उम्र 27 साल निवासी मकान नं. 249ए शिववडी मौहल्ला 17 एचएमएच कोहला जिला हनुमानगढ़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री बाबा मस्तनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च थेहड़ी गंगानी हनुमानगढ़ के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री वेदप्रकाश लखोटिया, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो श्रीगंगानगर द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 35 पर अंकित है। (ज्ञानप्रकाश चौधरी) पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

राजस्थान जयपुर। क्रमांक 118-120 दिनांक 03.02.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम श्रीगंगानगर, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस - तृतीय भ्रनिब्यूरो जयपुर, 3.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो हनुमानगढ़। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ved prakash lakhotiya **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 03.02/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	23/03/1979				
2	Male	01/07/1998				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)